



सत्यमेव जयते
भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

महानिदेशालय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य
(डीजीओएसएच)

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद

(एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्था)

(औद्योगिक सुरक्षा विभाग)

**इंडियन स्टैंडर्ड 14489:2018 के अनुसार
सेफ्टी ऑडिट पर वर्कशॉप
2 से 4 नवंबर, 2026**

डीजीओएसएच और आर एल आई फरीदाबाद

महानिदेशालय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (डीजीओएसएच) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करता है, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियां बनाने में मंत्रालय की सहायता करता है, और राज्य सरकारों तथा फैक्ट्रियों को काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्य-कुशलता और कल्याण से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। यह देश के प्रमुख बंदरगाहों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कानूनों को भी लागू करता है।

महानिदेशालय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (डीजीओएसएच) के अधीनस्थ कार्यालयों में से एक, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद, उत्तरी क्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान कर रहा है।

कार्यक्रम के बारे में

यह वर्कशॉप कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों के ऑडिट को स्थापित करने, योजना बनाने, आयोजित करने और उनका दस्तावेजीकरण करने के माध्यम से तय सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रणाली की क्षमता का पता लगाने के साथ-साथ, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के तत्वों के अस्तित्व और कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने में बहुत सहायक है। यह प्रकृति में काफी सामान्य है ताकि इसे विभिन्न प्रकार के संगठनों पर लागू या अनुकूलित

किया जा सके। प्रत्येक संगठन को इस मानक को लागू करने के लिए अपनी विशिष्ट प्रक्रियाएं और परिचालन प्रक्रियाएं, डिजाइन मार्गदर्शन, ऑडिट कार्यक्रम और कई अन्य तरीके विकसित करने चाहिए।

इस कार्यक्रम का मकसद खतरनाक प्रोसेस वाली इंडस्ट्रीज और बड़े हादसों के जोखिम वाली इकाइयों पर लागू होने वाले 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट सिस्टम' के बारे में जानकारी देना है।

उद्देश्य

इस वर्कशॉप का मकसद OSH ऑडिट के कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाना है। यह ऑडिट IS 14489 की ज़रूरतों और अलग-अलग कानूनी ज़रूरतों, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 और राज्य के फैक्ट्री नियम, पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 और उसके तहत बने नियमों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद प्रतिनिधियों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट की वैल्यू सिस्टम के बारे में जानकारी देना और उसे समझने में मदद करना है।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ:

- कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति
- OSH ऑडिट का लक्ष्य और उद्देश्य
- IS 14489:2018 के तत्व
- कानूनी प्रावधान
- OSH ऑडिट की प्रश्नावली
- शुरुआती और समापन बैठक
- ऑडिट करने का तरीका
- ऑडिट से पहले और बाद की गतिविधियां
- ऑडिट के निष्कर्ष
- ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना

भागीदारी

सुरक्षा प्रबंधक और अधिकारी, स्वास्थ्य और पर्यावरण विशेषज्ञ, औद्योगिक अभियंता, व्यावसायिक स्वास्थ्य पेशेवर, मानव संसाधन प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक और कोई भी व्यक्ति जो अपने संगठन के भीतर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य वातावरण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

तारीख, समय, तरीका

2 से 4 नवंबर, 2026

1000 से 1700 घंटे ऑफ़लाइन मोड

स्थान

नालंदा कॉन्फ़्रेंस कक्ष, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद – 121010, हरियाणा

नामांकन

नामांकन 31 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले ईमेल द्वारा प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम निदेशक को vimalk.12@dglasli.nic.in पर और प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम समन्वयक को sanjeev.kumar@dglasli.nic.in पर भेजा जा सकता है। इस कार्यक्रम में प्रवेश संस्थान से पुष्टि मिलने पर ही होगा।

प्रशासनिक विवरण

संस्थान शुल्क @ 5000/- रुपये (केवल पाँच हजार रुपये) प्रति प्रतिभागी, Bharatkosh पोर्टल (<https://bharatkosh.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। यह शुल्क केवल तभी जमा किया जाना चाहिए, जब आपको कोर्स कोऑर्डिनेटर से ईमेल द्वारा नामांकन की पुष्टि (confirmation) प्राप्त हो जाए; शुल्क जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

संस्थान शुल्क में किसी भी प्रकार के जलपान (refreshments), रहने या खाने-पीने की व्यवस्था (boarding/lodging) शामिल नहीं है।

पुष्टि प्राप्त होने के बाद शुल्क का भुगतान करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

- <https://bharatkosh.gov.in> पर जाएँ
- चुनें: Quick Payment
- उद्देश्य खोजें (Purpose search):
- मंत्रालय: Labour & Employment
- उद्देश्य (Purpose): Training and Services Fees
- वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO): 030050 - PAO, CLC, नई दिल्ली
- DDO: 202195 - क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद
- टिप्पणियाँ: “इंडियन स्टैंडर्ड 14489:2018 के अनुसार सेफ्टी ऑडिट पर वर्कशॉप”

आवास व्यवस्था

संस्थान के हॉस्टल में, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर, 'ट्विन शेयरिंग' (दो लोगों के लिए) के आधार पर, गैर-पारिवारिक हॉस्टल आवास की सीमित संख्या उपलब्ध हो सकती है। इसका आवंटन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा।

कार्यक्रम निदेशक

श्री विमल मीना, निदेशक (सुरक्षा)

मोबाइल नंबर: 87189 60819

ईमेल: vimalk.12@dglasli.nic.in/ rlifaridabad@dglasli.nic.in

प्रशिक्षण समन्वयक

संजीव कुमार, सहायक निदेशक (सुरक्षा)

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद

सेक्टर-47, फरीदाबाद-121 010 ई-मेल: sanjeev.kumar@dglasli.nic.in

मोबाइल/व्हाट्सएप: 7289839761

उम्मीदवारी-सह-पंजीकरण प्रपत्र

इंडियन स्टैंडर्ड 14489:2018 के अनुसार

सेफ्टी ऑडिट पर वर्कशॉप

(2 से 4 नवंबर, 2026)

स्थान: क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान, सेक्टर - 47, फरीदाबाद - 121010

प्रतिभागी का विवरण

नाम (ब्लॉक अक्षरों में)

:

पद

:

संचार का पता

:

उम्र

:

योग्यता

:

कुल अनुभव

:

मोबाइल नंबर

:

प्रायोजन संगठन के विवरण नाम और पता

:

टेलीफोन संख्या / मोबाइल संख्या

:

ई-मेल

:

फैक्स नंबर

:

आवास

:

आवश्यक / आवश्यक

भुगतान विवरण (Bharatkosh Receipt No. and date):

BELONGS TO :-

:

(GEN / SC / ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

Place:

Date:

SIGNATURE OF PARTICIPANT



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, FARIDABAD
(An ISO 9001:2015 certified Institution)
(INDUSTRIAL SAFETY DIVISION)

Workshop on
Safety Audit as per Indian Standard
14489:2018.
2nd to 4th November, 2026

DGOSH & RLI FARIDABAD

The Directorate General Occupational Safety Health (DGOSH) is an attached office of the Ministry of Labour and Employment, Government of India and serve as the technical arm assisting the Ministry in formulating National Policies on Occupational Safety and Health and to advise the State Governments and Factories on matters concerning Safety, Health, Efficiency and well-being of persons at work. It also enforces safety and health statutes in major Ports of the country.

The Regional Labour Institute, Faridabad, one of the Sub-ordinate Offices of DGOSH, has been rendering technical assistance and services in the field of Occupational Health, Safety and Environment in the Northern Region.

ABOUT THE PROGRAM

The workshop is very helpful to provide guidelines for verifying the existence and implementation of elements of occupational safety and health system in addition to ascertain the system's ability to achieve the defined safety objectives through establishing, planning, conducting and documenting of audits on occupational safety and health systems at workplace. It is sufficiently general in nature to permit it to be applicable or adaptable to different kinds of organizations. Each organization should develop its own specific procedures for implementing this standard and operational procedures, design guidance, audit programs and a host of other methods.

The programme aims at imparting knowledge on Occupational Safety and Health Audit systems as applicable to Hazardous Process Industries and Major Accident Hazard Units.

OBJECTIVE

The objective of this Workshop is to elaborate the concept of the OSH Audit which is carried out as per the requirement under IS 14489 and the various Legislative requirements such as the Factories Act, 1948 and the state Factories Rules, Environment (Protection) Act, 1986 and Rules made there under and other applicable Statutes. This programme aims to facilitate the delegates on the value system of Occupational Safety and Health Audit.

PROGRAM HIGHLIGHT

- ✚ National Policy on Safety, Health & Environment at Workplace
- ✚ Goal and Objectives of the OSH Audit
- ✚ Elements of IS 14489:2018
- ✚ Statutory Provisions
- ✚ Questionnaire of the OSH Audit
- ✚ Opening and Closing meeting
- ✚ Auditing Methodology
- ✚ Records to be examined
- ✚ Pre and Post Audit Activities
- ✚ Gather and Evaluate Audit data
- ✚ Audit Findings
- ✚ Preparation of Audit Report

PARTICIPATION

Safety Managers and Officers, Health and Environment Practitioners, Industrial Engineers, Occupational Health Professionals, Human Resource Managers, Production Managers and anyone responsible for safety, health, and work environment management within their organization

DATE, TIMINGS & MODE

2nd to 4th November, 2026 (03 Days)

10.00 to 17.00 hrs. OFFLINE MODE

VENUE

Nalanda Conference Room, Regional Labour Institute, Sector 47, Faridabad – 12101, Haryana

NOMINATION

Nomination may be sent by email to the Training/ Course Director at vimalk.12@dgfasli.nic.in and Training/ Course Coordinator sanjeev.kumar@dgfasli.nic.in on or before 31st October, 2026. Admission to the programme is subject to confirmation from the institute.

ADMINISTRATIVE DETAILS

Institution fee @ Rs 5000/- (Rs Five thousand only) per participant through Bharatkosh portal (<https://bharatkosh.gov.in>) may be deposited online by using the following steps only **after receipt of confirmation of the nomination from the Course Coordinator via email.**

Institution fee does not include any refreshments/boarding/lodging.

Follow the steps below to pay fees after confirmation only.

- ✚ Visit to <https://bharatkosh.gov.in>
- ✚ Select: **Quick Payment**
- ✚ Purpose search: **Ministry: Labour & Employment**
- ✚ Purpose: **Training and Services Fees**
- ✚ Pay & Account Office (PAO): **030050 -PAO, CLC, New Delhi**
- ✚ DDO: **202195 - Regional Labour Institute, Faridabad**
- ✚ Remarks: "Safety Audit as per Indian Standard 14489:2018"

ACCOMMODATION

Limited number of non-family hostel accommodation may be available on twin sharing basis in the Hostel of the institute at central government prescribed rate. Allotment will be made on "first come first served" basis.

PROGRAMME DIRECTOR

Shri. Vimal Meena, Director (Safety)

Mobile No. **87189 60819**

E-mail: [vimalk.12i@dgfasli.nic.in/](mailto:vimalk.12i@dgfasli.nic.in)
rlifaridabad@dgfasli.nic.in

TRAINING COORDINATOR

Sanjeev Kumar, Asst. Director (Safety)

Regional Labour Institute, Faridabad
Sector-47, Faridabad-121 010

E-mail: sanjeev.kumar@dgfasli.nic.in

Mob/Whatsapp: 7289839761

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

**Workshop on
Safety Audit as per Indian Standard 14489:2018.
2nd to 4th November, 2026**

**At
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, SECTOR – 47, FARIDABAD – 121010**

PARTICIPANT'S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No. :

E-mail :

Fax No. :

Accommodation : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS (Bharatkosh Receipt No. and date):

BELONGS TO CATEGORY: - :

(GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

Place:

Date:

SIGNATURE OF PARTICIPANT